(1)

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

सूचना

लोक निर्माण कार्यों के अनुभवी एवं पंजीकृत ठेकेदारों से उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में होने वाले निम्नलिखित कार्यों के लिए मोहरबन्द आंकलन दिनांक 21.12.2012 के अपराह्न 3:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित किए जाते है जो उसी दिन 03:30 बजे गठित समिति द्वारा खोले जायेंगे । अन्य जानकारी एवं शर्तें, दिनांक 21.12.2012 तक नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस को निशुल्क प्राप्त की जा सकती है ।

कार्य का विवरण :– मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में ऑफीर्सस कॉलोनी, निकट पंत सदन में एक बैरियर, एक गार्डरूम मय टॉयलेट–बाथरूम, एक संतरी पोस्ट एवं एक रिवाल्विंग गेट का निर्माण।

1. मुख्य द्वार पर एक बैरियर का निर्माण ।
2. मुख्य द्वार पर एक संतरी पोस्ट का निर्माण (लोहे/टिन)
3. एक गार्डरूम मय टायलेट–बाथरूम का निर्माण (लोहे/टिन)
4. दाहिने साइड(सीढी की तरफ) में एक रिवाल्विंग गेट का निर्माण ।

दिनांकः07.12.2012

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

नियम एवं शर्ते

- गार्द रूम में एक दरवाजा और एक खिडकी मय जाली का निर्माण किया जायेगा ।
- टायलेट–बाथरूम में एक दरवाजा, एक रोशनदान मय जाली, एक एगजैस्ट फैन मय जाली, एक यूरीनल,एक टायलेट सीट (इण्डियन स्टाईल) एवं दो नल लगाने होंगे ।
- संतरी पोस्ट में एक खुला दरवाजा और एक रोशनदान मय जाली का निर्माण किया जायेगा ।

➢ नियम एवं शर्तो की प्रति दिनांक 21.12.2012 तक किसी भी कार्यदिवस को माननीय न्यायालय के नजारत अनुभाग से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

➢ इच्छुक अनुभवी एवं पंजीकृत ठेकेदार, आंकलन देने से पूर्व कार्य किये जाने वाले स्थान को दिनांक 21.12.2012 तक किसी भी कार्य दिवस में उच्च न्यायालय के नजारत अनुभाग में सम्पर्क करके सम्यक् निरीक्षण कर सकते हैं। आंकलन देने वाले व्यक्ति का स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह सम्यक् रूप से निरीक्षण कर ले।

➢ इच्छुक ठेकेदारों/फर्म को निविदा के साथ जमानत के रूप में 10,000/– (दस हजार रुपये) का बन्धक पत्र या ड्राफ्ट (रिफन्डेबल) संलग्न करना अनिवार्य होगा जो भमहानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल" के नाम से देय होगा। जमानत की धनराशि आंकलन के साथ संलग्न न होने पर आंकलन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

➢ अनुमोदित आंकलन की जॉच लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य सरकारी निर्माण विभाग से करायी जायेगी ।

➢ इच्छुक ठेकेदारों/फर्म को निम्न प्रपत्र को आंकलन के साथ देना होगा । :– अनुभवों का विवरण, पंजीयन प्रमाण पत्र ।

➢ इच्छुक ठेकेदारों/फर्म को आंकलन के साथ प्रयुक्त होने वाली सामग्री. अनुपात एवं अन्य विवरण पूर्ण एवं स्पष्ट रूप देने होंगे।

- आंकलनदाता को कार्य की गुणवत्ता को पूर्ण रूप से ध्यान में रखना होगा ।

- किये जा रहे कार्य को निरीक्षण किसी भी समय महानिबन्धक महोदय, गठित समिति या किसी अन्य ऐजन्सी द्वारा कराया जा सकता है ।

- समिति द्वारा स्वीकार की गयी न्यूनतम आंकलन मूल्य तभी अन्तिम मानी जायेगी जब विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर ली जाये।

- जिस ठेकेदार/फर्म के आंकलन को स्वीकार किया जायेगा उसे एक माह के अन्दर कार्य को समाप्त करना होगा । अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी ।

- यदि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के संज्ञान में यह बात आती है कि आंकलनदाताओं ने आपस में गिरोह बना लिया है या कोई सांठ–गांठ कर रखी है तो ऐसी स्थिति में सभी आंकलन निरस्त/स्थगित की जा सकती है।

- माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार किये गये आंकलन के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

- आंकलन की तिथि में परिवर्तन करने तथा आंकलन की स्वीकृति को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड का होगा।

- आंकलन के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी वाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

ह0/–
महानिबन्धक
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल